भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 42.

दिनांक 02.02.2021/ 13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

धर्म-परिवर्तन के लिए विवश करना

†42. डॉ. मोहम्मद जावेदः
श्री एंटो एन्टोनीः
श्री टी.एन. प्रथापनः
श्री के. सुधाकरनः
डॉ. ए. चेल्लाकुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह मानती है कि देश में बलात् धर्म-परिवर्तन कराकर अंतरधार्मिक विवाह हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसे पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि देश में होने वाले अंतरधार्मिक विवाह बलात् धर्म-परिवर्तन कराने के मसले से जुड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अंतरधार्मिक विवाहों को रोकने के लिए सरकार की केंद्र स्तर पर एक धर्मपरिवर्तन -रोधी कानून बनाने की मंशा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कानून किस तिथि को लाया जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

लो.स.अता.प्र.सं. 42

(क) से (ग): संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' तथा 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इसलिए, धर्म परिवर्तन से संबंधित अपराधों की रोकथाम, पहचान, पंजीकरण, जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन जिम्मेवार हैं। जब कभी उल्लंघन की घटनाएं सामने आती है, तो विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मौजूदा कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ): भाग (क) से (ग) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर, जी नहीं।

(ड.): भाग (घ) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता है।

*****